

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 01-07-2019

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1):: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" के विभागीय आदेश 05.06.2018 की कंडिका-3.2 में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है:-

"परन्तु, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट डेन्टल कॉलेज के बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में वर्ष 2017-18 में प्रवेश प्राप्त कर, मेधावी योजना का लाभ प्राप्त किया हो, केवल उन विद्यार्थी को ही पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक योजना की यथा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

आदेशानुसार



(डॉ. एम. आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

भोपाल दिनांक 01-07-2019

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)


प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।

निरन्तर...

6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन विभाग।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
8. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
9. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
10. संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग